संख्या-25/2018/161/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 08 फरवरी 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 में 04-मण्डलीय कार्यालयो का अधिष्ठान के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2446/स0क0/लेखा-बजट/मण्डलीय अधिष्ठान/2017-18, दिनांक-11.12.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत रूपया-140.73 लाख (रूपया एक करोड़ चालीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत 03-मण्डल/जनपद/विकासखण्ड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था के लेखाशीर्षक-"2225-01-793-03-00 के मानक मद 01-वेतन की बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2-वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्ध की स्थिति में ही निर्गत की जायेगी।

3-जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वित्तीय वर्ष 2017-18 में नही की जायेगी।

4-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।

5-उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

6-उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

7-स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च 2018 तक व्यय हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-मण्डलीय कार्योलयों का अधिष्ठान-00-01-वेतन-03-मंहगाई भत्ता-06-अन्य भत्ता-17-किराया उपशुल्क व्यय के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-9

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

संख्या-25/2018/161(1)/26-3-2018 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0।
8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

वित्तीय वर्ष 2017–18

(रू0 लाख में)

अनुदान संख्या–80–मण्डलीय कार्यालयों का अधिष्ठान (समाज कल्याण विभाग)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–793–अनुसूचित जाति की संघठक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता–03–मण्डल / जनपद / विकास खण्ड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था–00–01–वेतन	5488.87	354.26	140.73	140.73	5348.14
योग	5488.87	354.26	140.73	140.73	5348.14

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–001–निर्देशन तथा प्रशासन–04–मण्डलीय कार्यालयों का अधिष्ठान–00					
01–वेतन	503.88	606.88	103.00	103.00	606.88
03–मंहगाई भत्ता	30.23	51.73	21.50	21.50	51.73
06–अन्य भत्ता	33.99	38.99	05.00	05.00	38.99
17–किराया उपशुल्क और करस्वामित्व	8.50	19.73	11.23	11.23	19.73
योग	576.60	717.33	140.73	140.73	717.33

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों से बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:– योजना / अधिष्ठान के क्रियान्वयन किये जाने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–235 / दस–2017 दिनांक–01 फरवरी ,2018

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग।

(राम सेवन)
उप सचिव
वित्त विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0संख्या–25/2018/161 (1)/26–3–2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2–महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) उ0प्र0इलाहाबाद।
3–निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4–निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5–वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
6–मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उ0प्र0शासन।
8–निदेशक, एन0आई0सी0।
9–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।